राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ८ १९६६-६७

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश सेवा समिति भी[illegible] का जिला भीलवाड़ा राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९५८ (राजस्थान अधिनियम नं० २८, १९५८) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक बठारह माह अप्रैल सन् एक हजार नौसौ छाषठ को जयपुर में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थायें, राजस्थान,
जयपुर।

प्रमाणित

रजिस्ट्रार
संस्थायें, भीलवाड़ा

रा० मु० उ० ११०५-२-६४-२००० फार्म

Scanned by TapScanner